

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांक- एफ.16(29)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/08 / 2734

दिनांक: 23.6.2010

संपरिवर्तन आदेश

उप शासन सचिव राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक-प0 (274) राज. /भू0रू0/2008 दिनांक 27.08.09 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में आवेदक आशा देवी शिक्षण संस्थान, कोटड़ा तहसील नीमकाथाना की खातेदारी में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 13 के अन्तर्गत संपरिवर्तन/नियममितिकरण किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	: आशा देवी शिक्षण संस्थान, कोटड़ा तहसील नीमकाथाना
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	: नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	:
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	: ग्राम पाटन ग्राम पंचायत, पाटन तहसील नीमकाथाना
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	: ख. नं. 828/875/1/2/2 रकबा 0.50 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	: ख. नं. 828/875/1/2/2 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण अर्थात 5000 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सभ्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है)	: संलग्न है।
4.	संपरिवर्तित का प्रयोजन	: सांस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	: रुपये 6.79 प्रति वर्गमीटर की दर से 5000 वर्गमीटर भूमि के 33950/- रु.
6.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	: 1. चलान नं. 124 दिनांक 27.9.08 राशि रुपये 25000/- 2. चलान नं. निल दिनांक 24.12.09 राशि रुपये 8677/- 3. चलान नं. 67 दिनांक 24.05.10 राशि रुपये 5443/-
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	: चालान नं. 124 दिनांक 27.09.08 राशि रु. 14440/- जमा (वास्तविक देय शास्ति राशि 196140/-) 19610-14440 शेष राशि 5170/- रु. कॉलम नं. 6 में अंकित संपरिवर्तन शुल्क में शामिल है।
8.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	: शुन्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	: हां, 722 वर्ग मीटर
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	: इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रमाणित अधिकारी
राजस्व शाखा कलेक्टर, सीकर

प्रतिलिपि लिपिक

राजस्व शाखा
कलेक्टर, सीकर

(2)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा :-

1. इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी एवं पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावेगा। मार्गाधिकार हेतु वांछित भूमि का राज्य पक्ष में निःशुल्क समर्पण करवाया जाए।
2. यदि प्रार्थी संस्था द्वारा इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से प्रस्तावित स्थल तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
3. निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं जिस विभाग द्वारा मान्यता दी जानी है, उसके मापदण्डानुसार निर्माण कराना होगा।
4. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6 (6)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
5. संपरिवर्तन किये जाने वाले कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत बच्चों के खेल मैदान एवं पार्किंग वाहन आदि (सुविधाओं)के लिए खुला छोड़ना होगा।
6. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समग्रहृत हो जायेगा।
7. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर)

क्रमांक:-एफ.16(29)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/08/2734-42 दिनांक:- 23.6.2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
5. तहसीलदार, नीमकाथाना
6. सरपंच, ग्राम पंचायत, पाटन पं0स0नीमकाथाना
7. आशा देवी शिक्षण संस्थान, कोटड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
8. रक्षी पत्रावली

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
राजस्व विभाग, जिला कलेक्ट्रेट, सीकर

प्रतिलिपि लिपित

राजस्व शाखा
कलेक्ट्रेट, सीकर,

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर)



GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE DEPARTMENT

FORM-B

[See Rule 9(3),(4) and (6)]

Office of Prescribed Authority: **SUB DIVISIONAL OFFICER, NEEM KA THANA**

Certificate Ref. No: LC/2021-22/120945

Date: 13-04-2022

CONVERSION ORDER

On the application of **ASHA DEVI SHIKSHAN SANSTHAN KOTRA SECRETARY VIMLA DEVI** of village **PATAN** Tehsil **NEEMKATHANA**, agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

- Names of applicant khatedar/tenants: **ASHA DEVI SHIKSHAN SANSTHAN KOTRA SECRETARY VIMLA DEVI**
- Father's/husband's name: **SURESH CHAND**
- Complete Address: **DHANI- SUK ,KOTRA ,KOTRA ,KOTRA ,KOTRA ,NEEM KA THANA, SIKAR, RAJASTHAN-332713**
- Social Category (SC/ST/GEN etc...): **OBC**
- Details of the Land converted:
 - Name of the village/Gram Panchayat/Tehsil: **PATAN/PATAN/NEEMKATHANA**
 - Khasra No. of the land: **946/2**
 - Area of each Khasra No. (in square meter): **4000**
 - Area converted of each Khasra No. (in square meter): **3382**
 - Area converted (in sq. meter): **3382**
- Purpose of Conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**
- Conversion type (Sub Category): **institutional purpose**
- Rate of conversion charges payable (₹): **10/-**
- Premium deposited (₹): **37550/-**
 - Advance Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: **2500/-, 30/03/2022, 22432250957**
 - Remaining Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: **35050/-, 13/04/2022, 22435231107**
- Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**
- Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**
- Whether the order issued under Rule 13 for regularization: **NO**



Signature valid

Digitally Signed by Breish Kumar
Designation : SUB DIVISIONAL OFFICER
NEEM KA THANA
Date: 2022.04.13 16:09 IST
Reason: Approved
Location: SIKAR

Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

GOVERNEMENT OF RAJASTHAN

OFFICE OF THE TEHSIL PATAN

DIST. SIKAR RAJASTHAN (332718)

NO. 21719/2018/610

DATE: - 18/9/25

LAND USE CERTIFICATE

This is certify that the land is situated in Khasara No. Old 828/875/1/2/2 New 946/4 (5000 Sq Meter) and Old 946/2 New 1560/946 (3382 Sq Meter) Total 8382 Sq Meter Rakaba 0.8382 in Measurement 8382 Sq Meter at Patan, Gram panchayat Patan, Tehsil Patan Dist. Sikar in terms of Deed Executer in the office of Sub Registrar Neem Ka Thana the Land under reference is in absolute possession of Asha Devi Shikhasan Sansthan, Kotra, Tehsil Neem Ka thana, Dist. Sikar (Rajasthan) who is legal owner of the land, Smt. Asha Devi P.G. College Patan Tehsil Patan is located on the said land.

DETAILS OF LAND:

1. Land use for: Educational/Institutional purposes.
2. Khasra No. old 828/875/1/2/2 New 946/4 (5000 Sq Meter) and Old 946/2 New 1560/946 (3382 Sq Meter) Total 8382 Sq Meter
3. Revenue Village Patan, Tehsil: Patan Dist. Sikar Rajasthan
4. Tehsil/Taluka: Neem Ka Thana
5. District: Sikar
6. State: Rajasthan
7. The above-mentioned land was registered in the name of Asha Devi Shikshan Sansthan Kotra, Tehsil Patan Dist. Sikar in the office of Sub Registrar Neem Ka Thana.
The above said land is exclusively used for **Educational/Institutional Purpose**. The Land revenue payable against this land has been cleared up to date

Tehsildar

Patan

Tehsil Patan Dist. Sikar